प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 06 नवम्बर, 2018

विषयः- स्नातक स्तरीय नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया समय से पूर्ण करने एवं प्रवेश हेतु पर्याप्त संख्या में छात्र-छात्रायें उपलब्ध कराने सम्बन्धी मार्ग निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-4447/71-3-05-141/96/05 दिनांक 14.10.2005 द्वारा निजी क्षेत्र में स्नातक स्तरीय पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अनापत्ति/अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी नीति का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था है कि निजी क्षेत्र में स्नातक स्तरीय पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की सम्बद्वता विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जायेगी तथा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में डिग्री भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जायेगी। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित/संचालित की जा रही है।

2- रिट याचिका संख्या-26470(एम/एस)/2018 श्रीराम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट बरेली व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-27748(एम/एस)/2018 केशलता कालेज ऑफ नर्सिंग, बरेली बनाम राज्य व अन्य में याचीगण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष बी0एस0सी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (सिंगल विण्डों सिस्टम के अन्तर्गत) नामांकन के लिए केन्द्रीयकृत व्यवस्था लागू किये जाने का अनुतोष मांगा गया था। इसके अतिरिक्त यह भी अनुतोष मांगा गया था कि प्रदेश के सभी सरकारी व निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रवेश के लिए एक सलेक्शन कमेटी का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाय तथा इससे सम्बन्धित दिशा-निर्देश निर्गत किये जायं।

3- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिकाओं की विस्तृत सुनवाई करते हुए दिनांक 30.10.2018 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं-

> "Sri Rajnish Dubey, Principal Secretary, Medical Education, Govt. of U.P. Lucknow, who is present in person in court, submits that the state government would take a decision in such matters and issue advisory to the universities that such large numbered seats are not left vacant and are duly filled up.
>
> In view of the aforesaid statement of the Principal Secretary, Medical Education, the petitioners are permitted to approach the Principal Secretary, Medical Education by 02-11-2018, annexing therewith a certified copy of this order as well as copy of the present writ petition, by way of a representation. In case, such a representation is made by the petitioners, the Principal Secretary, Medical Education,Govt. of U.P., Lucknow shall expeditiously dispose of the same preferably by 10-11-2018.
>
> Sri K.D.Nag, learned counsel for the respondent university also agrees that university would take suggestions by the state government and do their best to fill up the vacant seats.
>
> In view of aforesaid, present writ petition is disposed of."

4- रिट याचिका संख्या-26470(एम0/एस0)/2018 श्री राममूर्ति स्मारक ट्रस्ट, बरेली व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-27748(एम0/एस0)/2018 केशलता कालेज आफ नर्सिंग, बरेली बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 के अनुपालन में, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के आलोक में तथा याचीगण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदन दिनांक 31.10.2018 के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त नर्सिंग के स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु निम्न मार्ग निर्देश (advisory) निर्गत किये जा रहे हैं-

1. देश की नर्सिंग शिक्षा की नियामक संस्था इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के पत्र संख्या 1-6/2013-INC दिनॉक 07 नवम्बर, 2013 में संस्थाओं को सम्बद्वता प्रदान करने वाले प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी निम्नलिखित निर्देश दिये गये है-

   A. University shall issue detailed annual academic calendar as per the syllabus and declare Holidays/Vacation accordingly and ensure adherence to the same by all the institutions by way of surprise inspection. At least 10%-15% at random surprise inspections shall be conducted annually with feedback to INC to see any system of non-attending is been practiced by any institution.
   B. No admission after the cut-off date i.e. 31st October will be done. University/Board/SNRC shall submit admission details to INC within one month i.e. by 30th November every year. Further Hall tickets/admit card shall not be issued to the candidates who are admitted after 31st October.
   C. All Universities and examination Boards should send compliance report every year to INC after the issue of admission ticket to the students.

   इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 23.10.2018 के अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि 30.11.2018 निर्धारित है। अतः इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित समय-सीमा व उक्त निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2. इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के पत्र संख्या 1-6/2015-INC दिनॉक 21 सितम्बर, 2015 में 10+2 में बी0एस0सी0-नर्सिंग प्रशिक्षण में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अंग्रेजी विषय के साथ फिजिक्स, केमेस्ट्री एवं बायलोजी विषय में 45% के साथ उत्तीर्ण निर्धारित की गयी है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए 45% के स्थान पर 40% निर्धारित की गयी है। उक्त मानक का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. नर्सिंग शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं में बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अवशेष सीटों को भरने के लिए निम्नलिखित विकल्प हैः-

(क) प्रवेश परीक्षा (Entrance Examination) के माध्यम से छात्र-छात्राओं का चयन करके भर्ती हेतु शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाना, जिसमें OMR का प्रयोग करके त्वरित गति से प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।

(ख) श्रेष्ठता के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया के तहत नर्सिंग संस्थाओं में प्रवेश हेतु छात्र-छात्राओं का चयन 10+2 की श्रेष्ठता सूची (Intermediate merit) के आधार पर किया जा सकता है।

4. विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रवेश की कार्यवाही चाहें प्रवेश परीक्षा के आधार पर सम्पन्न करायी जाये अथवा मेरिट सूची बनाकर संपन्न करायी जाये परन्तु दोनों स्थितियों में सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष एवं त्वरित हो एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार (विज्ञापन) कराया जाये।

5. विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रवेश क्षमता जो कि इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली/उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा निर्धारित की गयी है, के अनुसार ही नर्सिंग शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं को छात्र-छात्रायें उपलब्ध कराये जायें तथा प्रतीक्षा सूची का भी प्राविधान रखा जाये।

6. उचित होगा कि नर्सिंग शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था छात्र-छात्राओं से नीट की भॉति सिक्योरिटी मनी प्राप्त कर लें जिससे कि यह निश्चित किया जा सके कि छात्र वास्तव में संबंधित नर्सिंग शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था में भर्ती लेने हेतु इच्छुक है। चयन की प्रक्रिया पूरी करते समय नर्सिंग शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था को निर्देशित किया

http://shasanadesh.up.nic.in

जाये कि वे अपने यहाँ भर्ती छात्रों की अद्यावधिक सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये। निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक छात्र-छात्रा किसी भी दशा में भर्ती न किये जाये।

7. यदि किन्हीं कारणोंवश चयनित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लिया गया हो, तो प्रतीक्षा सूची के आधार पर प्रवेश हेतु कार्यवाही की जा सकती है, बशर्ते इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित समय सारिणी का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो।
8. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक दशा में छात्र-छात्राओं के चयन इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानक यथा शैक्षिक अर्हता, आयु आदि के अनुरूप ही छात्रों का चयन सुनिश्चित किया जाये।
9. संबंधित संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों, मानकों एवं चयन प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उल्लेखनीय है कि इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के पत्र दिनॉक 23.10.2018 के अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र-2018-19 हेतु बी0एससी0 नर्सिंग में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2018 निर्धारित है। अतः जिन नर्सिंग शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं में बी0एस0सी0 नर्सिंग की सीटें रिक्त हैं उन पर अर्ह छात्र-छात्राओं का चयन उपर्युक्त प्रक्रिया के आधार पर करके निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाओं को उपलब्ध करा दिए जाएं।

6- कृपया मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-26470(एम/एस)/2018 श्रीराम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट, बरेली व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-27748(एम/एस)/2018 केशलता कालेज ऑफ नर्सिंग बरेली बनाम राज्य व अन्य वाद में पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 के अनुपालन में बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सम्बन्ध में उक्त वर्णित मार्ग निर्देश (advisory) के अनुरूप कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-12/2018/1976(1)/71-4-2018-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
3. निजी क्षेत्र में स्थापित समस्त नर्सिंग संस्थायें द्वारा सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in